कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
अलीगढ़ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़
<u>निविदा सूचना (प्रेस विज्ञप्ति)</u>

पत्रांक : 3920/कैशियर (प्र0ख0हा0)–अ0वृ0/15 **दिनांक : 01.08.2015**

1 महामहिम राज्यपाल, महोदय, उ0प्र0 की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0 अलीगढ़ उ0.प्र0 लो0नि0वि0 में 'ए' ''बी'' एवं ''सी'' श्रेणी के पंजीकृत एवं पात्र ठेकेदारों से प्रतिशत दरों में अधोलिखित कार्यों हेतु निविदाऐं आमंत्रित करते हैं। बिडर्स (Bidders) किसी एक अथवा सभी कार्यों हेतु बिड प्रस्तुत कर सकते हैं। बिडर को सलाह दी जाती है कि वे बिड (T–2) की क्लाज 4 में निविदा स्वीकृत करने के सम्बन्ध में न्यूनतम योग्यता हेतु बिडर को दिये गये निर्देश को ध्यान से पढ़ लें।

2.

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने का समय	कार्यकारी अधि0 अभि0 कार्यालय का पता	अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय का पता	जिलाधिकारी कार्यालय का पता	मुख्य अभि0 कार्यालय का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत										
1.	हाथरस	रतिभानपुर भैंकुरी मार्ग के कि0मी0 4 से धोबिन की मढ़ैया मार्ग के शेष भाग का नवनिर्माण कार्य।	43.00	4.15	2000+ 300+ टीटी0	2 माह	अधि0अभि0 प्रा0ख0 लो0नि0वि0 हाथरस।	अधी0 अभि0 अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0 अलीगढ़	जिलाधिकारी हाथरस।	मुख्य अभि0 आगरा क्षेत्र लो0नि0वि0 आगरा
2.		जनपद हाथरस में डॉ0 राममनोहर लोहिया समग्र विकास योजना के अन्तर्गत गढ़ी रंजीता से ठण्डीगढ़ी होकर गुखरौली तक मार्ग का नवनिर्माण काय्र।	81.00	6.05	2000+ 300+ टीटी0	3 माह				

3 प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुये कालम नं0 7 के आधार पर है।

4 निविदा की वैद्यता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस होगी। एक बार प्रस्तुत करने/डाले जाने के बाद निविदा वापिस नहीं ली जा सकती है।

5 कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जिलाधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता के कार्यालय से जैसा कि कॉलम 8, 9, 10 एवं 11 में क्रमशः एवं कार्य के अनुसार निर्दिष्ट है, से दि0 01.09.2015 से 07.09.2015 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक कालम नं0 6 में दी गयी गैर वापसी शुल्क स्टेशनरी शुल्क+निविदा मूल्य+ट्रैड टैक्स (वैट) प्रति निविदा/प्रति कार्य नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी भी शिड्यूल बैंक शुल्क से ''अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हाथरस'' के पक्ष में ''हाथरस'' में देय जमाकर प्राप्त किये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में इच्छुक निविदादाता इन्हीं कार्यालयों से जहां से निविदा प्रपत्र खरीदें जाने हैं अन्य जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जो निविदा प्रपत्र डाक सेवा द्वारा मांगते हें उनके लिये ये निविदा प्रपत्र रू0 200.00 मात्र के अतिरिक्त भुगतान पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जायेंगे। डाक से भेजे जाने के लिये प्रार्थनापत्र केवल दि0 03.09.2015 को सायं 4.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। डाक से निविदा मंगाने की व्यवस्था में डाक वितरण अथवा प्राप्ति में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर अधोहस्ताक्षरी जिम्मेदार नहीं होंगे। निविदा प्रपत्र बेबसाइट www.uppwd.up.nic.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। किन्तु इसके लिये रू0 500.00 + निविदा प्रपत्र का मूल्य+वैट जैसाकि कॉलम 6 मे अंकित है, की धनराशि का किसी शिड्यूल बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट जो ''अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस'' के पक्ष में ''हाथरस'' में देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। वेबसाइट से डाउनलोड किये गये निविदाप्रपत्रों के लिये सम्बन्धित कार्यो के ड्राइंग्स सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में उपरोक्त टेबिल के कॉलम 8 में अंकित पते पर उपलब्ध होगी।

6. बेवसाइट से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्रों एवं अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर सम्बधित कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही प्रामाणिक मानी जायेगी।

7. निविदायें कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जिलाधिकारी अथवा मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में जैसा कि कार्य के अनुसार कालम 8, 9, 10, एवं 11 में निर्दिष्ट दिनांक **08.09.2015** को दोपहर 12.00 बजे तक निविदा पेटिका में डाली जायेगी। जिनकी टैक्नीकल बिडस अगले कार्यकारी दिवस दिनांक **<u>09.09.2015</u>** को दोपहर 12.30 बजे कालम–10 में उल्लिखित जिलाधिकारी के कार्यालय परिसर में स्थित सभागार में बिडर्स जो उपस्थित होना चाहते हो के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्राप्ति अथवा खोलने की तिथि पर कार्यालय यदि बन्द रहता है तो निविदायें अगले कार्यकारी दिवस में निर्धारित समय पर प्राप्त और खोली जायेंगी तथा बिड्स की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी। वित्तीय निविदा के खोलने की तिथि अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय द्वारा सूचित किया जायेगा तथा टैक्निकल बिड में योग्य पाये गये बिडर्स को भी नोटिस की प्रति भेजी जायेगी।

8 प्री बिड बैठक (Pre-Bid Meeting) दिनांक 04.09.2015 को अपरान्ह 12.00 बजे कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ़ में आयोजित की जायेगी।

9 समस्त ठेकेदारों को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि कार्यवार अलग–अलग संलग्न करनी होगी। प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर धनराशि जैसा कि कॉलम नं0 – 5 में दर्शाया गया है राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा किसी शिड्यूल बैंक/पोस्ट ऑफिस की सावधि जमा रसीद जो ''अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ़'' के नाम बन्धक हो, धरोहर धनराशि की बैद्यता निविदा की बैद्यता के 45 दिन बाद तक की मान्य होगी।

10 यदि निविदा दाता या उसके वैवाहिक (पति/पत्नी) के निकट सम्बन्धी (प्रथम खून के रिश्ते या उनके वैवाहिक साथी के रूप में परिभाषित) खण्ड में खण्डीय लेखाधिकारी या अवर अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता, की हैसियत (दोनों को शामिल करते हुये) के अधिकारी कार्यरत हैं तो उसे निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11 राजपत्रित रेंक के अभियन्ता अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अभियंत्रण विभाग में अभियंत्रण अथवा प्रशासनिक सेवा में कार्य किये हुये किसी दूसरे राजपत्रित अधिकारी को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्ति के उपरान्त दो साल की अवधि तक सरकार की अनुमति के बिना ठेकेदार के रूप में कार्य नहीं करने दिया जायेगा यदि ठेकेदार अथवा उसका कोई कर्मचारी उपरोक्तानुसार व्यक्ति पाया जाता है जिसने निविदा डालने से पहले अथवा ठेकेदार की सेवा में आने से पहले सरकार से अनुमति नहीं ली होगी तो उसका ठेका निरस्त किये जाने के लिये संभाव्य है।

12 निविदा प्रपत्र एवं निविदा दाताओं की अर्हता सूचना तथा पात्रता कसौटी, सम्बन्धी दूसरे विवरण नक्शा विशिष्टियों ड्राइंग(रेखाचित्र) कार्यो के मात्राओं की सूची (शिड्यूल ऑफ क्वान्टिटी) तथा टर्म्स एण्ड कन्डीशन का विवरण जो ठेकेदार द्वारा स्वीकार की जानी है टेबल के कालम नं0 8 में उल्लेखित अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में दि0 01.09.2015 से 07.09.2015 तक कार्यकारी दिवसों में सुबह 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक देखी जा सकती हैं।

13 बिडर्स का क्रिमिनल रिकार्ड होने पर उसको बिडिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

14 कोई भी बिडर्स जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत हो को निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

15 दस लाख से ऊपर के कार्यो के लिऐ प्रत्येक निविदादाता को प्रत्येक कार्य के लिए (संलग्न–1) के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा पर सारी सूचनायें एफीडेविट के रूप में देनी होगी, जिससे कि निविदादाता की बिड कैपेसिटी (कार्य करने की क्षमता) आंकलित की जा सके। प्रत्येक निविदादाता को निविदा डालने से पूर्व ही बिड कैपेसिटी के लिये स्वयं को संतुष्ट करना होगा। बिड क्षमता सेक्शन 3 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप आंकलित की जायेगी, जो निविदादाता आवश्यक बिड कैपेसिटी को पूर्ण नहीं करते उनकी निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जायेगी।

16 महत्वपूर्णः–रूपया दस लाख से अधिक लागत की निविदायें दो भागों में क्रमिक ढंग से पूर्ण (सिरीयली हार्ड बाउन्ड) मान्य होगी। निविदा भाग:1 में तकनीकी निविदा तथा निविदा भाग–2 में वित्तीय निविदा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफों में बन्द कर दोनों लिफाफों को तीसरे लिफाफे में सीलबन्द करते हुये निविदा डाली जायेगी।

17 निविदादाता को प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ सभी सूचनायें प्रपत्र निर्धारित प्रोफार्मा (टी–4, टी–5, टी–6) जमा करना अनिवार्य होगा।

18 टी–2 (T-2) की समस्त शर्ते निविदादाता पर लागू हैं।

19 सक्षम प्राधिकारी को बिना किसी कारण बतायें निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

20 सभी कार्यो की डिफैक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य समाप्ति की तिथि से 02 वर्ष बाद तक होगीं

21 समस्त ठेकेदारों को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि कार्यवार अलग–अलग संलग्न करनी होगी।

22 निविदा केवल बैध पंजीकरण प्रमाणपत्र, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र धारकों को बेची जायेगी।

23 जिन ठेकेदारों द्वारा कम प्रतिशत दर पर निविदा दर पर निविदा दी जायेगी उनसे शासनादेश सं0 – 622/23.12.2012–2 ऑडिट/08 टी0सी0–2 लखनऊ दिनांक 08.06.12 के अनुपालन में निम्नानुसार अतिरिक्त परफारमेंस सिक्योरिटी ली जायेगी।

(अ) जिन ठेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत तक कम दर (Below) पर निविदा दी जायेगी उनसे 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी ली जायेगी।

(ब) जिन ठेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर (Below) पर निविदा दी जायेगी उनसे 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी ली जायेगी।

24 ठेकेदार को निविदा स्वीकृत के उपरान्त उ0प्र0 भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 तथा उत्तर प्रदेश नियमावली 2009 के अन्तर्गत उप श्रम आयुक्त, अलीगढ़ के कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

अधीक्षण अभियन्ता
अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ़